

सेरेन्टीका रेन्युएबल्स इंडिया ४ प्रायवेट (एसआरआय३पीएल)  
डीएलएफ सायबरपार्क, टॉवर—बी, ९वा माहला, उद्योग विहार,  
फेज—३, सेक्टर—२०, गुरगांव, गुरगांव, हरियाणा, इंडिया,  
१२२००८.

जाहिर सुचना  
विद्युत अधिनियम, २००३ के उगकलम (२) के कलम १५ के  
तहत

१. सेरेन्टीका रेन्युएबल्स इंडिया ४ प्रायवेट (एसआरआय३पीएल),  
पंजीकृत दफतर : डीएलएफ सायबरपार्क, टॉवर—बी, ९वा माहला,  
उद्योग विहार, फेज—३, सेक्टर—२०, गुरगांव, गुरगांव, हरियाणा,  
इंडिया. आस्थापना अधिनियम १९५६ के तहत स्थापितने ट्रान्समिशन  
लाईन उपस्थानक और अन्य जायजाद के ट्रान्समिशन परवाना देने  
के लिए विद्युत अधिनियम २००३ के धारा १५ के उपधारा (१) से  
केंद्रिय विद्युत नियमन आयोग, नई दिल्ली के समक्ष अर्जी दी है,  
उसकी जानगारी नीचे दी गई है।

क्र. सं.	लाईन/ उपस्थानक स्थल का नाम	लाईन की लंबाई/ क्षमता	अंदाजन पूर्णतः का मुल्य अथवा लेवल के ट्रान्समिशन का शुल्क (स्पर्धात्मक दरपत्रक के मार्गदर्शन से अर्जीदार को चुना है तो।)	व्यवसाय का कालावधी	दिप्पणी
१.	१. एचजेडएल — कंकरोली (पीजी) २२० केवी डी/सी लाईन।	अंदाजन २३ केमी/ २२० केवी	भारतीय रकम रुपये ५० करोड़। ट्रान्समिशन शुल्क	१७२२०४	..

२. कांक्रोली (पीजी) एसएस मे दो (२) नग २२० केवी लाईन।		एनआरआय ४पीएल अॅन्ड हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड इनके बीच बराबर तय हुआ है, जो पीओसी पुल से बाहर है।		
एकांक्रोली (पीजी) एसएसमे				

२. आयोग के समक्ष दिए पूर्ण अर्जी और अन्य कागजात किसी व्यक्ति के लिए देखने हेतु वेबसाईट [www.serenticaglobal.com](http://www.serenticaglobal.com) पर उपलब्ध है। अर्जी आयोगने बताए हुए तरिके से आस्थापना के दफ्तर डीएलएफ सायबरपार्क, टॉवर-बी, ९वा माहला, उद्योग विहार, फेज-३, सेक्टर-२०, गुरगांव, गुरगांव, हरियाणा, इंडिया, १२२००८, यहाँ श्री कुनाल कैस्था (एवीपी-रेग्युलेटरी) अथवा आयोग के दफ्तर मे निरिक्षण हेतु मिल सकेगा।

३. हरकते अथवा सुझाव कुछ हो तो वेबसाईट पर सुचना के प्रकाशन के ३० दिन मे अर्जीदार को अथवा उनके अधिकृत अभिकर्ता को हरकते/सुझाव की एक प्रत देकर सचिव, सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसीटी रेग्युलेटरी कमिशन, ३रा और ४था माहला, चंद्रलोक बिल्डींग, ३६ जनपत, नई दिल्ली-११०००१ के पास दीजिए।

स्थल : दिल्ली।

बालाजी सिवन  
अधिकृत दस्तखतकर्ता  
तारिख : 22.05.2023

